

## Examrace: Downloaded from examrace.com

For solved question bank visit [doorsteptutor.com](http://doorsteptutor.com) and for free video lectures visit

[Examrace YouTube Channel](#)

# जीएम तकनीक लाइसेंसिंग (आज्ञा) के संबंध में नयी अधिसूचना को वापस लिया गया (New Notification Was Withdraw Regarding GM Technology Licensing – Economy)

Get top class preparation for IAS right from your home: Get [detailed illustrated notes covering entire syllabus](#): point-by-point for high retention.

## अधिसूचना में क्या था?

- कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुमोदित जेनेटिकली (उत्पत्ति संबंधी) मोडिफाइड (आंशिक परिवर्तन) (जीएम) तकनीक का लाइसेंस (अर्थात अन्वेषक) किसी भी आवेदक को उस तकनीक का लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता था।
- इसके द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की नई तकनीक की लाइसेंस (आज्ञा) फीस (शुल्क) पर भी सीमा लगा दी गयी थी और इसमें बीज प्रौद्योगिकी लाइसेंस (आज्ञा) प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच दृष्टिकोण समझौतों को विनियमित करने की मांग की गयी थी।
- इसमें जीएम फसल तकनीक पर भी अनिवार्य लाइसेंस (आज्ञा) का प्रावधान लागू हो जाता।

## इस अधिसूचना को क्यों वापस ले लिया गया?

जीएम तकनीक कंपनियों द्वारा निम्न वजहों से असंतोष व्यक्त करने के बाद इसे वापस ले लिया गया:

- पेटेंट (एकस्व) तकनीक के कारोबार का नुकसान।
- इस अधिसूचना का मतलब था लाइसेंस (आज्ञा) राज की वापसी
- यह विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य लाइसेंसिंग (आज्ञा) के नियमों के खिलाफ थी
- यह अनुसंधान के क्षेत्र में निवेशक को हतोत्साहित करती और अंततः किसानों को नुकसान हो सकता था।

**वर्तमान स्थिति:** केंद्र सरकार ने अब इस अधिसूचना को जनता की राय लेने के लिए जनता के समक्ष रखा है। इस बीच उसके प्रवर्तन को निरस्त कर दिया गया है।

Developed by: [Mindsprite Solutions](#)